विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-07/18

श्री मो0 हुसैन इनायत हुसैन, — **आवेदक**
द्वारा – श्री शब्बीर हुसैन पिता अकबर अली,
दाउदी प्रिटिंग प्रेस, चौक बाजार,
बुरहानपुर (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, — **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बुरहानपुर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 24.01.2020 को पारित)

01. आवेदक श्री मो0 हुसैन इनायत हुसैन, द्वारा – श्री शब्बीर हुसैन पिता अकबर अली, दाउदी प्रिटिंग प्रेस, चौक बाजार, बुरहानपुर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 17.04.2018 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0396017 श्री मो0 हुसैन इनायत हुसैन, द्वारा – श्री शब्बीर हुसैन पिता अकबर अली, दाउदी प्रिटिंग प्रेस, चौक बाजार, बुरहानपुर (म0प्र0) विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बुरहानपुर (म.प्र.) में दिनांक 07.02.2018 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। यह अपील दिनांक 19.04.2018 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–07/2018 पर दर्ज की गई है।

02. प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के विवरण निम्नानुसार हैः–

अभ्यावेदन वास्ते माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक 3960/17 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2018 को अपास्त करने बाबत् ।

अभ्यावदेनकर्ता/आवेदक माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक 3960/17 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2018 जिसकी प्रति आवेदक को 21.03.2018 को प्राप्त हुई प्रति से पीड़ित दुखी एवं व्यथित होकर निम्नलिखित आधारों पर वर्तमान अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि :–

आवेदक ने माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर के समक्ष अपना शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं को निराकरण कराए जाने हेतु निवेदन किया गया था ।

(अ) विद्युत कनेक्शन क्रमांक 61–15–7838 पर आवेदक का नाम परिवर्तन कराए जाने बाबत।

(ब) उक्त विद्युत कनेक्शन का भार 4 किलोवाट के स्थान पर 2 किलोवाट कराए जाने बाबत्।

(स) उक्त कनेक्शन पर केपीसीटर स्थापित होने के पश्चात भी केपीसीटर चार्ज राशि आवेदक से प्राप्त किए जाने से उक्त राशि विधि विरूद्ध होने से निरस्त कर भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस दिलाए जाने बाबत् ।

(द) उक्त कनेक्शन का मीटर माह जून 2017 से माह नवम्बर 2017 तक की अवधि में खराब होकर तेज गति से चलने के कारण उक्त अवधि में दर्ज हुई अत्याधिक विद्युत खपत को विद्युत प्रदाय संहिता2013 की कंडिका क्र0 8.35 की मंशा के मुताबिक रिवाईज कराए जाने बाबत् ।

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में अनावेदक ने माननीय फोरम के समक्ष दिनांक 11.01.2018 को अपना जवाब एवं संलग्न दस्तावेज के रूप में नामंतरण, भार कम करने संबंधी उपभोक्ताओं की सूची, बैंक संज्ञापन प्रपत्र, भुगतान रसीद, बिल सुधार कार्यालीन टीप दिनांक 26.10.2017 एवं कथित मीटर जांच रिपोर्ट दिनांक 18.10.2017 एवं उक्त कनेक्शन की माह फरवरी 2013 से माह जनवरी 2018 तक की अवधि की पासबुक की प्रति प्रस्तुत की जाकर आवेदक के अधिकांश कथनों को स्वीकार किया गया है जिसमें कुछ अपनी कार्यालीन त्रुटि को स्वीकार करते हुए आवेदक की समस्या का निराकरण किया जाना व्यक्त करते हुए उक्त कनेक्शन के मीटर की जांच रिपोर्ट के आधार पर माह अगस्त 2017 से माह नवम्बर 2017 की अवधि में दर्ज हुई विद्युत खपत को सही मानते हुए रिवाईज न किया जाना व्यक्त किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर द्वारा दिनांक 07.02.2018 को जो आदेश पारित किया है, वह निम्नलिखित आधारों पर निरस्त किए जाने योग्य हैं ।

अपील के आधार :–

1/– माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दुओं को नहीं समझ कर गंभीर भूल की है ।

2/— माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर द्वारा वर्तमान प्रकरण का सुक्ष्मता से अवलोकन नहीं किया जाकर गंभीर भूल की है ।

3/— माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर द्वारा जिन तथ्यों के संबंध में तथा जिन अवधि के बिलों को जिन आधारों पर रिवाईज करने हेतु निवेदन किया ही नहीं गया था फिर भी माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर ने उक्त बिन्दुओं पर अपना अभिमत देते हुए जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य हैं ।

4/— माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर ने माह अगस्त 2017 एवं माह सितम्बर 2017 में दर्ज विद्युत खपत को जो रिवाई करने का आदेश पारित किया है वह विधि और नियम के विपरीत है क्योंकि माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर ने उक्त मीटर को खराब मानते हुए उक्त मीटर की विद्युत खपत को रिवाईज करने का आदेश पारित किया है क्योंकि उक्त मीटर में 2 से ढाई गुना अधिक विद्युत खपत उक्त मीटर दर्शा रहा था तो ऐसी स्थिति में उसी खराब मीटर की 3 माह की विद्युत खपत को किस आधार पर रिवाईज का आधार बना जा सकता है ।

5/— इसी प्रकार उक्त बिल को जिस अवधि की विद्युत खपत को आधार बनाए जाने के आदेश पारित किए गए हैं, उक्त अवधि की विद्युत खपत सामान्यता विद्युत खपत की तुलना में अत्याधिक दर्ज होती है जबकि विवादित अवधि में विद्युत खपत न्यूनतम रहती है । अर्थात माह सितम्बर 2016 से माह अप्रैल 2017 तक की विद्युत खपत को माह सितम्बर 2015 से माह अप्रैल 2016 तक की अवधि की विद्युत खपत के आधार पर रिवाईज किया जाना चाहिए ।

6/— माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर ने अनावेदक के संबंधित अधिकारी के विरूद्ध म0प्र0 रेगुलेटरी कमीशन भोपाल द्वारा जारी नियमों का पालन समय अवधि में नहीं किए जाने से अधिरोपित नहीं की है जबकि इस प्रकरण में अनावेदक के संबंधित अधिकारी ने उक्त नियमों का समय अवधि में पालन नहीं किया है । इतना ही नहीं अनावेदक ने माननीय अधीनस्थ फोरम, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाब में उक्त कनेक्शन का भार समयावधि में कम न किए जाने के कथन करते हुए 5,295/— रू0 की राशि का समायोजन आगामी बिल में किए जाने का आश्वासन दिया था, परन्तु उक्त राशि का समायोजन भी नहीं किया गया है ।

7/— आवेदक माननीय लोकपाल महोदय से यह भी निवदेन करता है कि वर्तमान प्रकरण अनावेदक की लापरवाही के कारण करीब 1 से डेढ़ वर्ष से विचाराधीन चला आ रहा है जिसके कारण आवेदक को आर्थिक एवं मानसिक क्षति कारित हुई है, जिसके कारण आवेदक को अनावेदक से बतौर हर्जाना 10,000/— रू0 के रूप में दिलाया जावे तथा आवेदक द्वारा भुगतान की गई अत्यधिक राशि भी ब्याज सहित वापस दिलाई जावे ।

8/— आवेदक माननीय लोकपाल महोदय से यह भी निवदेन करता है कि अनावेदक द्वारा वर्तमान में जो आवेदक के परिसर से निकाले गए मीटर को कथित रूप से जाचं कराया है वह भी विधि और नियम के विपरित है क्योंकि अनावेदक ने उक्त मीटर की जांच की सूचना न तो आवेदक को दी है और न ही उक्त मीटर को आवेदक की उपस्थिति में जांच कराया है ।

9/— आवेदक माननीय लोकपाल महोदय से यह भी निवदेन करता है कि माह जून 2017 से माह नवम्बर 2017 तक की अवधि में दर्ज विद्युत खपत एवं माह सितम्बर 2016 से लगायत माह अप्रैल 2017 तक की औसत विद्युत खपत के बिल को म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका क्र0 8.35 की मंशा के मुताबिक माह जनवरी 2016 से माह मार्च

2016 तक की विद्युत खपत को आधार मानते हुए रिवाईज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जाए ।

10/– आवेदक ने माह मार्च 2018 के बिल पेठे 6,000/–रू0 की राशि का भुगतान कर दिया है उक्त बिल की प्रति एवं आलौच्य आदेश दिनांक 07.02.2018 की प्रति इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त समस्त आधारों पर आवेदक का वर्तमान अभ्यावेदन स्वीकार किया जाकर आवेदक द्वारा चाही गई समस्त सहायताएं आवेदक को प्रदान करने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे ।

03. प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 19.07.2018 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए। तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही। अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी। चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 30.04.2019 को आयोजित की गई, जिसमें आवेदक की ओर से आवेदक के अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री कृष्णा कुमार जैसवाल, सहायक यंत्री (शहर) संभाग, बुरहानपुर उपस्थित हुए।

04. अनावेदक प्रतिनिधि ने प्रकरण में आवेदक की अपील का लिखित प्रति–उत्तर दिनांक 30.04.19 प्रस्तुत किया गया ।

1. ऐसा की आवेदक को सर्विस क्र0 61–15–7836 श्री मो0 हुसैन इनायत हुसैन के नाम से गैर घरेलु उपयोग हेतु 4000 वाट का कनेक्शन आवंटित है ।
2. ऐसा कि आवेदक द्वारा अक्टूबर 2017 में नाम परिवर्तन एवं विद्युत भार 4 किलोवाट से 2 किलोवाट करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।
3. ऐसा कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर नाम परिवर्तन एवं भार कार्यवाही की जा चुकी है । अवलोकनार्थ विद्युत देयक की छायाप्रति संलग्न है ।
4. ऐसा कि माननीय विद्युत शिकायत निवारण फोरम इंदौर के समक्ष आवेदक द्वारा दायर प्रकरण क्रमांक 3960/2017 में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सुनवाई के उपरांत माननीय फोरम द्वारा दिनांक 07.02.2018 को आदेश पारित किया गया । जिसका अनावेदक कंपनी द्वारा परिपालन कर दिया गया है ।

प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर कंडिका वार प्रतिउत्तर :–

01. यह कि आवेदक का माननीय वि0उ0शि0नि0फो0 इन्दौर को इस आशय से आरोपित करना गलत हैं कि, उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दुओं को नहीं समझकर गंभीर भूल की है, अपितु माननीय फोरम द्वारा विधि प्रावधानों के तहत ही आदेश प्रदान किया गया है, जिसका अनावेदक कंपनी द्वारा परिपालन किया जा चुका है ।

02. यह कि आवेदक का माननीय वि0उ0शि0नि0फो0 इन्दौर को इस आशय से आरोपित करना गलत हैं कि, उक्त प्रकरण में सुक्षमता से अवलोकन नहीं कर गंभीर भूल की है, अपितु माननीय फोरम द्वारा पूर्ण अवलोकन के उपरांत ही आदेश प्रदान किया गया है ।

03. यह कि माननीय फोरम द्वारा दिनांक 07.02.2018 के परिपालन में अगस्त 2017 एवं सितम्बर 2017 के विद्युत देयक पुनरीक्षित किए गए । अपितु आवेदक के यहां पूर्व में स्थापित मीटर बंद पाए जाने के कारण माह सितम्बर 2016 से अप्रैल 2017 तक पूर्व खपत के आधार पर औसत देयक जारी किए गए थे, चूंकि आवेदक का मीटर बंद होने के कारण सही खपत का आंकलन न होने के कारण माननीय फोरम के आदेशानुसार विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 8.35 के तहत नए मीटर की खपत के आधार औसत निर्धारित कर विद्युत देयक पुनरीक्षित किया जाकर राशि रू0 1158/– का समायोजन माह अप्रैल 2018 के देयक में किया जा चुका है ।

04. यह कि, माननीय फोरम द्वारा पारित आदेशानुसार विधि के अनुसार विद्युत देयक पुनरीक्षित किए गए हैं ।

05. यह कि, आवेदक इस आशय से आरोपित किया जाना गलत है कि, विद्युत देयक में अनावेदक द्वारा दर्शित राशि रू0 5295/– का समायोजन नहीं किया गया है, अपितु उक्त राशि रू0 5295/– का समायोजन माह मार्च 2018 के देयक किया जा चुका है । श्रीमान के अवलोकनार्थ माह फरवरी 2018 एवं माह मार्च 2018 की देयक छायाप्रति संलग्न है । समायोजन का विवरण निम्नानुसार है ।

माह फरवरी 2018 में जारी देयक	–	18083/–
राशि रू0 5295/– का समायोजन	–	– 5295/–
आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि	–	– 1000/–
अन्य	–	– 5/–
कुल शेष राशि		**– 11776/–**

माह मार्च 2018 के देयक में बकाया राशि 11776/– दर्शाया गया है ।

06. यह कि, आवेदक के आवेदन एवं माननीय फोरम के आदेशानुसार नियमानुसार कार्यवाही की गई है । अतः किसी भी तरह की सहायता पाने का अधिकारी नहीं है ।

07. यह कि, आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर को अनावेदक द्वारा, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला में मीटर परीक्षण किया गया एवं परीक्षण में मीटर सही पाया गया । चूंकि माननीय फोरम द्वारा अगस्त 2017 एवं सितम्बर 2017 की खपत को अपास्त किया गया है । अतः आदेश के परिपालन मे विद्युत देयक पुनरीक्षित कर दिए गए हैं ।

08. यह कि, आवेदक को माननीय फोरम के आदेशानुसार विद्युत देयक पुनरीक्षित कर उपरोक्तानुसार राशि का समायोजन कर दिया गया है । अतः आवेदक किसी भी तरह की सहायता पाने का अधिकारी नहीं है ।

09. यह कि, आवेदक द्वारा आवेदन में दर्शित विद्युत देयक के संबंध में कोई विवाद नहीं है ।

माननीय लोकपाल महोदय से निवेदन है कि, माननीय फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यु 3960/2017 में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जिसका अनावेदक द्वारा परिपालन कर दिया गया है ।

अतः माननीय लोकपाल महोदय से निवेदन है कि, उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील सव्यय निरस्त करने का कष्ट करें ।

आवेदक ने कथन किया कि उनके द्वारा अपील में माह जून 2017 से नवम्बर 2017 तथा माह सितम्बर 2016 से अप्रैल 2017 तक की औसत खपत बिल में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका क्रमांक 8.35 की मंशा के मुताबिक माह जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक की विद्युत खपत को आधार मानते हुए संशोधित किए जाने संबंधी आदेश प्रदान करने की मांग की गई ।

उक्त संबंध में फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2018 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चूंकि फोरम ने अपने आदेश में जून एवं जुलाई के बिल के पुनरीक्षण बाबत् कोई निर्णय नहीं दिया है, अतः आवेदक अपीलार्थी इन दो माहों के बिल पुनरीक्षण के लिए अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है । आवेदक ने इस पर सहमति जताते हुए तर्क किया कि आवेदक ने फोरम के समक्ष सितम्बर 2016 से अप्रैल 2017 तक के बिलों के पुनरीक्षण हेतु भी अपने शिकायती आवेदन पत्र में कोई निवेदन हीं किया था किन्तु फोरम द्वारा अनावश्यक रूप से इस प्रकरण में निर्णय लिया गया है ।

प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 29.06.2019 को नियत की गई ।

05. दिनांक 29.06.2019 तथा उसके बाद दिनांक 01.08.2019, 06.09.2019 एवं 23.09.2019 को आयोजित सुनवाई में आवेदक एवं अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं की जा सकी ।

06. सुनवाई दिनांक 10.10.2019 को आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

आवेदक अधिवक्ता ने दिनांक 30.04.2019 की सुनवाई में फोरम के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कथन किया था कि आवेदक ने फोरम के समक्ष सितम्बर 2016 से अप्रैल 2017 के बिलों के पुनरीक्षण हेतु कोई निवेदन नहीं किया गया था, किन्तु फोरम द्वारा अनावश्यक रूप से इस पर निर्णय लिया गया है । आज सुनवाई में आवेदक अधिवक्ता द्वारा पुनः यही कथन करने पर उन्हें फोरम से प्राप्त प्रकरण की मूल नस्ती में उपलब्ध उनके पत्र दिनांक 01.02.2018 की सुनवाई में

फोरम के समक्ष अपने लिखित कथन दिनांक 01.02.2018 का अवलोकन कराया गया, जिसके पैराग्राफ 10 में उनके द्वारा निम्नानुसार निवेदन किया गया था :–

''आवेदक माननीय फोरम से यह भी निवेदन करता है कि अनावेदक ने मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रमांक 8.21 की मंशा के विपरीत माह नवम्बर 2016 से मई 2017 तक की अवधि में विवादित मीटर को नहीं बदला था, जिसके कारण उक्त अवधि में जारी किया गया औसत यूनिट के बिल भी पूर्व खपत की तुलना में अधिक होने से उक्त बिल भी रिवाईज किए जाने योग्य हैं ।''

उक्त लिखित कथन के अवलोकन पश्चात् आवेदक अधिवक्ता ने कथन कर मांग की कि चूंकि आवेदक द्वारा अपनी मूल शिकायत दिनांक 21.12.2017 में उक्तानुसार मांग नहीं की गई थी, अतः सुनवाई के दौरान बाद में की गई इस मांग को ''Press Not'' मानते हुए फोरम द्वारा माह सितम्बर 2016 से माह अप्रैल 2017 तक के औसत बिलों को पुनरीक्षित किए जाने संबंधी निर्णय अपास्त किया जाए ।

07. अगली सुनवाई दिनांक 13.11.2019 को आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी उपस्थित हुतए तथा अनावेदक की ओर से श्री आमेर कुरैशी, कार्यपालन यंत्री उपस्थित हुए ।

आवेदक द्वारा अपने प्रस्तुत लिखित अपील में आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन का भार अनावेदक द्वारा समय–अवधि में पूर्ण ना किए जाने तथा रू0 5,295/– की राशि का समायोजन नहीं किए जाने के संबंध में अनावेदक श्री कुरैशी ने कथन किया कि आवेदक का यह आरोप गलत है । जबकि इस राशि का समायोजन मार्च 2018 के देयक में किया जा चुका है और इस समायोजन के विवरण तथा माह फरवरी 2018 एवं मार्च 2018 के देयकों की छायाप्रतियां दिनांक 30.04.2019 की सुनवाई में लिखित रूप से प्रस्तुत की जा चुकी है । आवेदक अधिवक्ता ने इन देयकों तथा समायोजन के विवरण के अवलोकन पश्चात् कथन कर स्वीकार किया कि उनके द्वारा मांग की गई रू0 5,295/– की राशि का समायोजन हो चुका है और वे अनावेदक के कथन से सहमत एवं संतुष्ट हैं ।

प्रकरण में विभिन्न अवधि में स्थापित मीटर तथा इन मीटरों की टैस्टिंग संबंधी जानकारी पूर्व सुनवाई में प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक कथन में वांछित स्पष्टता नहीं होने के संबंध में अनावेदक ने इस संबंध में आवश्यक विवरण अगली सुनवाई में प्रस्तुत किए जाने का कथन किया ।

08. दिनांक 12.12.2019 को आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी, बुरहानपुर तथा अनावेदक की ओर से श्री नितिन यादव, जूनियर इंजीनियर, बुरहानपुर उपस्थित ।

अनावेदक प्रतिनिधि ने आवेदक के विद्युत संयोग पर पूर्व में बदले गए मीटरों की डिस्पोजल स्लिप एवं मीटर की जांच रिपोर्ट नियमानुसार प्रस्तुत की है :–

ए. माह अप्रैल–2017 में बदले गये मीटर की डिस्पोजल स्लिप ।

बी. माह अक्टूबर–2017 में बदले गये मीटर की डिस्पोजल स्लिप ।

सी. माह अक्टूबर–2017 में बदले गये मीटर की जांच रिपोर्ट ।

डी. माह जनवरी–2018 में बदले गये मीटर की डिस्पोजल स्लिप ।

एफ. माह जनवरी–2018 में बदले गये मीटर की जांच रिपोर्ट ।

आवेदक अधिवक्ता एवं अनावेदक प्रतिनिधि दोनों का कथन है कि उनके द्वारा प्रकरण में अपने पक्ष में समस्त जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है और आगे उन्हें कोई और कथन नहीं करना है। उभयपक्षों के द्वारा किए गए उक्त कथनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया जाता है ।

09. प्रकरण की विवेचना में पाया गया कि आवेदक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने लिखित अभ्यावेदन एवं विभिन्न दिनाकों को आयोजित सुनवाई में किए गए कथन के आधार पर प्रकरण में आवेदक द्वारा निम्नानुसार मांग करते हुए अपील प्रस्तुत की है :–

(अ) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षैत्र द्वारा जिन तथ्यों के संबंध में तथा जिन अवधि के बिलों को जिन आधार पर रिवाईज करने हेतु निवेदन नहीं किया गया है फिर भी माननीय फोरम ने उन्हें रिवाईज कर दिया । माननीय फोरम ने उन बिन्दुओं पर जो आदेश दिया है वह निरस्त किए जाने योग्य है ।

(ब) फोरम ने माह अगस्त 2017 एवं सितम्बर 2017 में दर्ज विद्युत खपत को जो रिवाईज करने का आदेश पारित किया है वह विधि एवं नियमों के विपरीत है, क्योंकि फोरम ने उक्त मीटर को खराब मानते हुए उक्त मीटर के विद्युत खपत को रिवाईज करने का आदेश किया है, क्योंकि उक्त मीटर में दो से ढाई गुना अधिक विद्युत खपत दर्शा रहा था तो ऐसी स्थिति में उसे खराब मीटर की 3 माह की विद्युत खपत को इस आधार पर रिवाईज का आधार बनाया जा सकता है ।

(स) माह सितम्बर 2016 से माह अप्रैल 2017 तक की विद्युत खपत को जिस अवधि की विद्युत खपत के आधार पर रिवाईज किए जाने हेतु आदेश दिया गया है उस अवधि की विद्युत खपत सामान्यतः विद्युत खपत की श्रेणी में अत्यधिक दर्ज होती है जबकि विवादित अवधि में विद्युत खपत न्यूनतम रहती है । अतः उक्त अवधि के बिलों को पिछले वर्ष की समान अवधि में बिल अर्थात् सितम्बर 2015 से अप्रैल 2016 तक की अवधि की विद्युत खपत के आधार पर रिवाईज किया जाना चाहिए ।

(द) आवेदक के कनेक्शन का भार समयावधि में कम नहीं किए जाने के कारण अनावेदक द्वारा रू0 5295/– राशि का समायोजन आगामी बिलों में किए जाने का आश्वासन फोरम के समक्ष दिया था, किन्तु यह समायोजन नहीं किया गया है ।

(इ) अनावेदक की लापरवाही के कारण प्रकरण एक से डेढ़ वर्ष से विचाराधीन चल रहा है, जिसके कारण आवेदक को आर्थिक एवं मानसिक क्षतिकारित हुई है, जिसके कारण आवेदक को अनावेदक से बतौर हर्जाना रू0 10,000/– रू0 दिलाए जाए । अतः आवेदक द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि ब्याज सहित वापस दिलाई जाए ।

(फ) माह जून 2017 से माह नवम्बर 2017 तक की अवधि में दर्ज विद्युत खपत एवं माह सितम्बर 2016 से लगायत माह अप्रैल 2017 तक की औसत खपत विद्युत बिलों को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रमांक 8.35 की मंशा के मुताबिक माह जनवरी 2016 से माह मार्च 2016 तक की विद्युत खपत को आधार मानते हुए रिवाईज करने के आदेश प्रदान किए जाए ।

10. अपील में की गई उक्त मांगों की उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्ष, किए गए कथन के आधार पर स्थापित नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार विवेचना की गई जिसमें निम्न तथ्य एवं निष्कर्ष प्राप्त किए गए :–

(अ) सुनवाई में किए गए कथन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सितम्बर 2016 से अप्रैल 2017 तक की अवधि के जारी बिलों के संशोधन हेतु फोरम ने अपने आदेश में जो आदेश पारित किया है उसके संबंध में आवेदक की आपत्ति है कि उनके द्वारा इस संबंध में फोरम से कोई मांग नहीं की गई है । इस संबंध में दिनांक 10.10.2019 की सुनवाई में आवेदक को उनके द्वारा फोरम के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 01.01.2018 का अवलोकन किया गया, जिसमें उनके द्वारा नवंबर 2016 से मई 2017 तक की अवधि में विवादित मीटर को नहीं बदलने के कारण इस अवधि में बिल रिवाईज किए जाने की मांग की थी। इस पत्र के अवलोकन पश्चात् आवेदक अधिवक्ता ने कथन किया कि चूंकि आवेदक द्वारा अपनी मूल शिकायत दिनांक 21.02.2017 में उक्तानुसार मांग नहीं की गई थी । अतः सुनवाई के दौरान बाद में की गई इस मांग को "Press Not" मानते हुए फोरम द्वारा सितम्बर 2016 से माह अप्रैल 2017 तक की औसत बिलों को पुनरीक्षित किए जाने संबंधी निर्णय अपास्त किया जाए । इस संबंध में विद्युत लोकपाल का अभिमत है कि चूंकि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन अवधि के बिलों में संशोधन की मांग लिखित रूप से फोरम के समक्ष की गई थी जिसे स्वीकार करते हुए फोरम द्वारा अपने आदेश में समुचित निर्णय पारित किया जा चुका और आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन में भी इस अवधि के बिलों के संशोधन की मांग की गई है, अतः वर्तमान स्तर पर विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण में आज की स्थिति में आवेदक के उक्त अवधि के बिलों के संशोधन के लिखित आवेदन को "Press Not" माना जाना विधि अनुरूप नहीं पाया जाता है । इस आधार पर आवेदक द्वारा सितम्बर 2016 से अप्रैल 2017 तक की अवधि के बिलों के संशोधन के संबंध में फोरम द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त किए जाने की मांग अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा ।

(ब) फोरम ने माह अगस्त 2017 एवं सितम्बर 2017 के बिलों को पूर्ववर्ती 3 माह अर्थात् मई 2017 से जुलाई 2017 की अवधि की मासिक खपत के औसत आधार पर पुनरीक्षित किए जाने हेतु निर्णय दिया है । मई 2017 से जुलाई 2017 की अवधि में आवेदक के परिसरमें मीटर क्रमांक 105322 स्थापित था जो अक्टूबर 2017 में बदला गया तथा आवेदक के परिसर से निकाले जाने के बाद दिनांक 18.102017 को अनावेदक की मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में इसकी जांच की गई थी । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जहां तक मीटर द्वारा खपत रिकार्ड करने का प्रश्न है जांच में मीटर सही खपत दर्ज करना पाया गया । केवल मीटर द्वारा दिनांक एवं समय सही नहीं दर्शाया जा रहा था, ऐसी स्थिति में आवेदक अधिवक्ता का तर्क कि अगस्त एवं सितम्बर 2017 के बिलों का पुनरीक्षण त्रुटिपूर्ण मीटर द्वारा मई 2017 से जुलाई 2017

तक दर्ज खपत के आधार पर किया गया है उचित नहीं पाया जाता है । इस निष्कर्ष के आधार पर फोरम द्वारा प्रश्नाधीन अवधि के बिलों के पुनरीक्षण हेतु अपने दिनांक 07.02.2018 को पारित आदेश में दिए गए निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित होगा।

(स) सितम्बर 2016 से अप्रैल 2017 तक की अवधि के बिलों के पुनरीक्षण के संबंध में आवेदक द्वारा दिए गए तर्क की फोरम द्वारा इनके पुनरीक्षण हेतु जिस अवधि अर्थात् मई 2017 से जुलाई 2017 की खपत के आधार पर बनाया है उस अवधि में सामान्यतः अधिक खपत होती है । अतः इस अवधि में बिलों का पुनरीक्षण विगत वर्ष के समान अवधि अर्थात् सितम्बर 2015 से अप्रैल 2016 की खपत के आधार पर किया जाए । इस संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में बिल पुनरीक्षण संबंधी प्रावधानों का अवलोकन किया गया किन्तु आवेदक की मांग के अनुसार बिल पुनरीक्षण हेतु कोई प्रावधान नहीं पाया गया। अतः आवेदक की मांग विधि एवं स्थापना नियमों के आधार पर उचित नहीं होने से इसको अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा ।

(द) आवेदक के संयोजन का भार समयावधि में कम नहीं किए जाने के कारण अधिक बिल की गई 5295/– रू0 की राशि के समायोजन के संबंध में अनावेदक द्वारा दिनांक 13.11.2019 की सुनवाई में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि इस राशि का समायोजन मार्च 2018 के देयक में किया जा चुका है । इन साक्ष्यों का आवेदक अधिवक्ता द्वारा अवलोकन कर स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा मांग की गई 5295/– रू0 की राशि का समायोजन हो चुका और और वे अनावेदक के कथन से सहमत एवं संतुष्ट हैं, अतः आवेदक की इस मांग का निराकरण आवेदक के अनुसार होने से इस पर कोई निर्णय नहीं दिया जाना है ।

(इ) आवेदक द्वारा प्रकरण में 10,000/– रू0 की हर्जाना के रूप में दिलाए जाने की मांग की है । चूंकि माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009"** में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या हर्जाना दिए जाने का अधिकार विद्युत लोकपाल को प्रदत्त नहीं किया गया है, अतः आवेदक की इस मांग में विद्युत लोकपाल द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाना है ।

(फ) आवेदक ने सितम्बर 2016 से अप्रैल 2017 तक की औसत विद्युत खपत के बिलों तथा माह जून 2017 से माह नवम्बर 2017 तक की अवधि में दर्ज विद्युत खपत को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 8.35 के अनुसार जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक की विद्युत खपत को आधार मानते हुए संशोधित करने की मांग की है । इस संबंध में उक्त अवधियों की विवेचना पृथक–पृथक रूप से निम्नानुसार की गई हैः–

01. **सितम्बर 2016 से अप्रैल 2017 :–** इस संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिल पुनरीक्षण हेतु विगत 3 माह के अवधि में दर्ज खपत के आधार पर पुनरीक्षित किया जावेगा । अतः आवेदक द्वारा की गई मांग मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है, तथापि प्रश्नाधीन अवधि के बिलों का पुनरीक्षण म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 8.35 के अनुसार माह जून 2016 से अगस्त 2016 तक की दर्ज खपत के आधार पर किया जाना न्यायोचित होगा ।

02. **जून 2017 से नवम्बर 2017 :–** जहां तक अगस्त 2017 एवं सितम्बर 2017 के बिलों के पुनरीक्षण का प्रश्न है इसकी विवेचना उपरोक्त पैरा क्रमांक 02 में की गई है ।

प्रश्नाधीन अवधि के 3 माह अर्थात् जून 2017, जुलाई 2017 एवं अक्टूबर 2017 के संबंध में फोरम के आदेश का तथा आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष मूल शिकायत का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा इन 3 माहों के बिलों की पुनरीक्षण संबंधी कोई मांग फोरम से नहीं की थी न ही फोरम द्वारा उन 3 माहों की मांगों के बिल पुनरीक्षण के संबंध में कोई निर्णय अपने आदेश में दिया है । अतः आवेदक इन 3 माहों के बिलों के पुनरीक्षण संबंधी अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने में विधिक रूप से सक्षम नहीं पाया जाता है और उसकी अपील का यह अंश विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रचलन योग्य नहीं जाए जाने से निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा ।

माह नवंबर 2017 के बिल पुनरीक्षण संबंधी मांग के लिए अनावेदक द्वारा प्रस्तुत विवरणों से स्पष्ट होता है कि आवेदक के परिसर में माह अक्टूबर 2017 में दिनांक 04.10.2017 को नया मीटर स्थापित किया गया था तथा पुराना मीटर 37239 की अंतिम रीडिंग पर निकाला गया था । इस प्रकार पुराने मीटर ने नवम्बर 2017 माह के बिलिंग चक्र के लिए 37239–37185 = 54 युनिट्स खपत दर्ज की थी । लेकिन माह नवंबर 2017 में रीडिंग दिनांक 08.11.2017 को नए मीटर की रीडिंग नहीं ली जाकर पुराने मीटर की विगत माह की रीडिंग ही दर्शातें हुए अनुमानित खपत 569 यूनिट का बिल जारी किया गया था । इसके पश्चात माह दिसबंर 2017 में कुल 817 यूनिट का बिल जारी किया गया जो वस्तुतः 17 अक्टूबर 2017 से 4 दिसंबर 2017 तक की अवधि में नए मीटर में दर्ज हुई कुल खपत के लिए था । इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2017 के दो बिलिंग चक्रों में कुल दर्ज खपत 817 + 54 = 871 युनिट्स होती है जिसको समान अनुपात में बांटकर नवम्बर, 2017 एवं दिसम्बर, 2017 के प्रत्येक माह के लिए जारी बिलों के 871/2 = 436 युनिट्स की खपत के लिए संशोधित किया जाना विधि अनुरूप होकर न्यायोचित होगा ।

11. प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवेदक की अपील स्वीकार कर निम्न संशोधनों के साथ विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा प्रकरण क्रमांक W0396017 में दिनांक 07.02.2018 को पारित आदेश यथोचित रखे जाने का निर्णय लिया जाता है :–

(1) सितम्बर 2016 से अप्रैल 2017 के जारी बिलों को जून 2016 से जुलाई 2016 की अवधि के तीन बिलिंग चक्रों की दर्ज खपत के औसत मासिक खपत के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए । आवेदक द्वारा भुगतान की गई अधिक राशि का मय सरचार्ज के आवेदक के तत्काल आगामी बिलों में समायोजन किया जाए ।

(2) माह नवंबर 2017 एवं दिसम्बर 2017 के जारी बिलों को इस अवधि में स्थापित रहे दो विभिन्न मीटरों द्वारा दर्ज कुल खपत (817 + 54) 871 युनिट्स के लिए समान अनुपात में अर्थात् 436 युनिट्स प्रतिमाह की खपत के लिए पुनरीक्षित किया जावे । आवेदक द्वारा भुगतान की गई अधिक राशि का मय सरचार्ज के आवेदक के तत्काल आगामी बिलों में समायोजित की जाए ।

12. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निराकृत होकर समाप्त होता है । उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे । आदेश की एक प्रति उभयपक्षों को निःशुल्क प्रदान की जावे । आदेश की प्रति के साथ फोरम की मूल नस्ती वापिस हो।

विद्युत लोकपाल